



2026:AHC: 166365

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 603/2025

छोटे लाल

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: अभिषेक सरोज, सुनील कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, कृष्ण बाली शर्मा, शरद शेखर
शर्मा

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 से 7 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील अपीलार्थी द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), भदोही-ज्ञानपुर द्वारा आपराधिक वाद संख्या 27 वर्ष 2023 (छोटे लाल बनाम शिव पूजन और अन्य), थाना चौरी, जिला भदोही में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.11.2024 के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया गया था।
3. धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र से उत्पन्न परिवाद में, यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने परिवादी और अन्य व्यक्तियों को चोटें पहुंचाई।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश दिनांक 28.11.2024 अवैध और मनमाना है। धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रूप में माना गया था, और धारा 200 और 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत उसके बयानों ने परिवाद में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान निचली अदालत अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का उचित रूप से मूल्यांकन करने में विफल रही और धारा 203 द.प्र.सं. के अंतर्गत परिवाद को त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज कर दिया। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में कोई चोट या चिकित्सीय रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। हालांकि, वह स्वीकार करते हैं कि घटना कथित तौर पर एक सार्वजनिक स्थान पर हुई थी। सूचनादाता और विपक्षी के आवासों के बीच की दूरी लगभग 100 मीटर है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए और मामले को विधि के अनुसार आगे बढ़ाया जाए।

5. इसके विपरीत, विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि परिवाद और धारा 200 और 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज बयानों पर विचार करने के पश्चात आक्षेपित आदेश सही ढंग से पारित किया गया है। मारपीट के आरोप के बावजूद कोई चोट या चिकित्सीय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उसी घटना के संबंध में विपक्षी द्वारा अपीलार्थी और अन्य के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 91 वर्ष 2021 पहले ही दर्ज कराया जा चुका था, और वर्तमान परिवाद उक्त वाद के प्रतिरोध के रूप में है। अपीलार्थी को उसकी जाति के आधार पर अपमानित या तिरस्कृत करने के आशय से जातिसूचक शब्दों के उपयोग का कोई विशिष्ट आरोप भी नहीं है। अतः, धारा 203 द.प्र.सं. के अंतर्गत परिवाद को सही ढंग से खारिज किया गया था और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. घटना कथित तौर पर एक सार्वजनिक स्थान पर हुई थी, जहां अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के विरुद्ध गाली-गलौज की भाषा का उपयोग किया जाना बताया गया है। यह स्वीकार्य है कि वर्तमान मामले में, एक एफ.आई.आर., जो मुकदमा अपराध संख्या 91 वर्ष 2021 है, सूचनादाता शिव पूजन द्वारा वर्तमान वाद के परिवादी के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506 और 427 भा.द.सं. के अंतर्गत दर्ज की गई थी। मुकदमा अपराध संख्या 91 वर्ष 2021 में घटना की तिथि समान है, अर्थात् 19.08.2021। यह भी स्वीकार किया जाता है कि, उक्त मामले में, दो व्यक्तियों को चोटें आईं। हालांकि, वर्तमान परिवाद में, यह कहा गया है कि कोई चोट रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। परिवाद को प्रथम दृष्टया देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि इसे मुकदमा अपराध संख्या 91 वर्ष 2021 को जन्म देने वाली घटना के प्रति-वाद के रूप में संस्थित किया गया है। इसके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अतिरिक्त, परिवाद में स्पष्ट रूप से यह इंगित करने के लिए कोई विशिष्ट या अलग कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने पीड़ित के विरुद्ध केवल इस आधार पर उसे अपमानित या तिरस्कृत करने के आशय से किसी जातिसूचक अपशब्द का उपयोग किया कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है।

7. इस प्रकार, वाद के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत दाखिल अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को सही ढंग से खारिज किया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 28.11.2024 किसी भी अवैधता, विकृति या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराए।

8. गुण-दोष से रहित होने के कारण, अपील तदनुसार **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

10 अगस्त, 2026

अंकित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”